



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प.2(2)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2026/32920

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षर

-: परिपत्र :-

विषय:-समस्त राजसेवकों द्वारा स्वयं के विगत वर्षों के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज एसीआर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाने बाबत।

विभागीय परिपत्र दिनांक 30.03.2022 एवं 22.04.2022 के तहत राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में टिप्पणी अंकन नहीं किये जाने की स्थिति में Auto forward approval प्रणाली का प्रावधान किया गया है।

इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन राजसेवकों द्वारा विगत वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज एसीआर पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं भरे गये हैं, उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए विगत वर्षों के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन भरने हेतु दिनांक 01.06.2026 से 30.06.2026 तक शिथिलन प्रदान किया जाता है।

अतः राज्य के समस्त राजसेवकों स्वयं के विगत वर्षों के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज पोर्टल पर दिनांक 01.06.2026 से 30.06.2026 तक ऑनलाइन अनिवार्य रूप से भरना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों (जिला कलक्टर सहित) को व्यादिष्ट किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत राजसेवकों के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज एसीआर पोर्टल पर ऑनलाइन समय सीमा में भरवाये जाने हेतु स्वयं के स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्य मूल्यांकन अनुदेश 05.06.2008 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र कार्मिक विभाग की वेबसाइट <https://dop.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। राजकाज संबंधित तकनीकी सहायता के लिये राजकाज हैल्पडेस्क नंबर 0141-29-22281, 21149 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(अर्चना सिंह)
शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Singh
Designation : Secretary To
Government
Date: 2026.06.01 13:37:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22522563

Me-Sign





प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव ।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव ।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा. उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
9. अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर ।

शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Singh
Designation : Secretary To
Government
Date: 2026.06.01 13:37:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22522563

M e-Sign

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F3(126)Admin/ CCE / ACR / 2010 - 8661 - 3901241 दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को पालनार्थ।
4. प्राचार्य, समस्त राजकीय महा./कन्या महा./विधि महा. (राज0)/राज. स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर/राज. संगीत संस्थान, जयपुर को पालनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar
Yadav
Designation : Joint Director
Date: 2026.06.02 11:30:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22584310

M e-Sign

